

राजस्थान सरकार

## न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर राशमी

(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट) कैम्प :- अटल सेवा केन्द्र ..... भरम

-: आदेश :-

प्र०सं० :- 89/2018

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी ..... भरम ..... व भू.अ.नि. .... की रिपोर्ट तथा तहसीलदार राशमी की अनुशंषा के आधार पर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम ..... भरम ..... तहसील राशमी व जिला चित्तौड़गढ़ की जमाबन्दी सम्वत् ..... 2011-12 ..... में खाता संख्या ..... 158 ..... में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं :-

क्र.सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है)
1.	भरम	158	खाता	शुद्ध



401  
(पकज शर्मा)  
सहायक कलेक्टर,  
(उपखण्ड अधिकारी)  
राशमी, जिला-चित्तौड़गढ़

(मोहनलाल प्रतिहार)  
उपखण्ड अधिकारी एवं  
पदेन सहायक कलेक्टर  
राशमी

क्रमांक/राजस्व/ 89/2018  
प्रतिलिपि :-

दिनांक :- 10/11/18

1. तहसीलदार, राशमी को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवायें।
2. प्रार्थी श्री ..... को सूचनार्थ।
3. रक्षित पत्रावली।

401  
(पकज शर्मा)  
सहायक कलेक्टर,  
(उपखण्ड अधिकारी)  
राशमी, जिला-चित्तौड़गढ़

(मोहनलाल प्रतिहार)  
उपखण्ड अधिकारी एवं  
पदेन सहायक कलेक्टर  
राशमी

